रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 863]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2014/चैत्र 19, 1936
No. 863]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2014/CHAITRA 19, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

का. आ. 1054 (अ).——केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1128 तारीख 15 जून 2013 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य की तहसील : पिथौरा, जिला : महासमुंद की भूमि में, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा उडीसा राज्य में पारादीप से रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोशणा करती है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है, कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : पिथौरा		जिला : महासमुंद		राज्य : छत्तीसगढ़	
क्र.सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	रेमडा	16/1084	00	06	84
2.	तिलंजनपुर	311/3	00	14	47
3.	सावित्रीपुर	309/884	00	18	87
4.	अठारागुडी	454	00	02	40
5.	सरकडा	612	00	06	15

[आर–25011/21/2010–ओ आर–1]
पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

S.O. 1054 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1128 dated 15th June 2013 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Tehsil- Pithora, District- Mahasamund, in Chhattisgarh, State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) and Ranchi (Jharkhand) by Indian Oil Corporation Limited. And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government.

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, Central Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Pithora		District: Mahasamund		State : Chhattisgarh	
Sl. No	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	Remda	16/1084	00	06	84
2.	Tilanjanpur	311/3	00	14	47
3.	Sawitripur	309/884	00	18	87
4.	Atharagudi	454	00	02	40
5.	Sankara	612	00	06	15

[R-25011/ 21 /2010-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.